



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आषाढ़ 1943 (श०)

(सं० पटना 541) पटना, शुक्रवार, 25 जून 2021

सं० 3प/मु०म०नि०यो०-19-04/2016(पार्ट-2)/2935/पं०रा०,  
पंचायती राज विभाग

संकल्प

22 जून 2021

fo"K; %& e[;e=h xkeh.k i;ty fu'p; ;ktuk dh dk;kUo;u vof/k o"ki 2021&22 rd foLrkj  
dju; ,o; \*\*nh?kdkyhu vuj{k.k uhfr\*\* di rgr ;ktuk di j[k&j[kko gr vx:rj vun:'kko  
dh Lohdfr di lc/k eA

पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या-1153 दिनांक-13.02.2019 (मंत्रिपरिषद की बैठक, दिनांक-05.02.2019 द्वारा स्वीकृत) एवं संकल्प संख्या-5344 दिनांक-11.09.2020 (मंत्रिपरिषद की बैठक, दिनांक-08.09.2020 द्वारा स्वीकृत) द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत विभिन्न स्तरों के दायित्व एवं रख-रखाव हेतु नीतिगत निर्णय निर्धारित किये गये थे।

2- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख-रखाव नीति से संबंधित व्यवस्था के सामयिक अद्यतन समीक्षा के उपरान्त प्रस्तावित संलग्न अनुदेशों में वर्णित अग्रेतर संशोधन/दिशा-निर्देश दिये जाते हैं। (अनुदेशों की प्रति संलग्न)।

3- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख-रखाव नीति के तहत प्रस्तावित संलग्न अनुदेश के सारभूत तथ्य है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था होगी, जिनका कर्तव्य पेयजल योजना को सुचारु रूप से संचालन करना है। सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वार्ड सदस्य की अनिच्छा पर वार्ड सभा, वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकेगी।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन सुचारु परिचालन हेतु अनुरक्षकों के विशिष्ट दायित्व निर्धारित करते हुए ग्रामीणों को जलापूर्ति व्यवस्था का निर्धारित समयानुरूप परिचालन, उनके लघु मरम्मत एवं वृहद् मरम्मत, के सम्पूर्ण अवयव तथा प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के चयन प्रक्रिया की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

4- पेयजलापूर्ति योजना के उपभोक्ता शुल्क प्रबंधन की प्रस्तावित व्यवस्था से संबंधित संलग्न अनुदेश सारणीबद्ध की गई है।

5- उपर्युक्त व्यवस्था के तहत एकीकृत निवारण कोषांग का गठन एवं Toll Free No-18001231121 द्वारा शिकायतों का संधारण, निष्पादन एवं अनुश्रवण की प्रावधानित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

6- पेयजलापूर्ति योजना से जुड़े दीर्घकालीन अनुक्षण नीति के तहत हितधारकों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के दायित्व, ग्राम पंचायत के दायित्व, तकनीकी सहायकों के दायित्व, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के दायित्व सहित जिला पंचायत राज पदाधिकारी का दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

7- **नियम 15-1** 15वें वित्त आयोग के अनुदान की प्राप्ति के सात दिनों में पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिमाह ₹4000/- की दर से अनुदान राशि हस्तांतरित की जायेगी। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा इस राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा, जिससे अनुरक्षक को ₹2000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान किया जा सकेगा। शेष ₹2000/- का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के अनुक्षण में किया जायेगा।

(i) 15वें वित्त आयोग के अनुदान की प्राप्ति के सात दिनों में पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिमाह ₹4000/- की दर से अनुदान राशि हस्तांतरित की जायेगी। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा इस राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा, जिससे अनुरक्षक को ₹2000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान किया जा सकेगा। शेष ₹2000/- का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के अनुक्षण में किया जायेगा।

(ii) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संग्रहित उपभोक्ता शुल्क का 50% राशि प्रोत्साहन स्वरूप अनुरक्षक को देय होगी एवं शेष 50% राशि का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के अनुक्षण हेतु किया जायेगा।

(iii) वार्ड सदस्य द्वारा यदि अनुरक्षकों के कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है, तो उन्हें अनुरक्षकों के लिए निर्धारित मानदेय अनुमान्य होगा। वार्ड सदस्यों को भुगतान किये जाने वाला प्रतिनिधि भत्ता भी पूर्ववत् अनुमान्य होगा।

(iv) पेयजल योजनाओं के संधारण हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर समुचित संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में सीधा ₹24000/- वार्षिक अनुदान अलग से दिया जायेगा।

(v) विद्युत विपत्र का भुगतान एवं रख-रखाव उक्त तीनों स्रोतों से प्राप्त समेकित निधि से अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा।

(vi) विद्युत विपत्र का भुगतान अध्यक्ष वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा ससमय करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) 'ग्राम पंचायतों द्वारा जुर्माना स्वरूप वसूली गई राशि ग्राम पंचायत की निधि में शामिल हो जायेगी।' \*\*यह राशि राज्य योजना मद/राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को प्राप्त होने वाले संसाधनों में से दी जा सकेगी।'

8- उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् राशि का आंकलन किया गया है :-

| वर्ष    | राज्य योजना |                  | राज्य वित्त आयोग |
|---------|-------------|------------------|------------------|
|         | राज्य योजना | राज्य वित्त आयोग |                  |
| 2021-22 | ₹300.00     | ₹300.00          | ₹600.00          |

रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं उसके बाद आगामी 4 वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि की व्यवस्था पंचायतों को प्राप्त राज्य योजना/राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद से की जा सकेगी।

9- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के विभिन्न कारणों से समस्याग्रस्त वार्डों के अपूर्ण अथवा अनाच्छादित क्षेत्र की योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु समय सीमा का विस्तार वित्तीय वर्ष 2021-22 तक किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

10- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत् संचालन एवं उचित प्रबंधन हेतु पंचायती राज विभाग समय-समय पर अग्रोत्तर निदेश जारी कर सकेगा।

इस प्रस्ताव पर दिनांक-15.06.2021 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

वकील  
वर यकी  
लज्जत विजय

ipk; rh jkt foHkkx vixrj e[;e=h xkeh.k i; ty fu'p; ;ktuk d; nh?kdkyhu vuj{k.k  
uhfr d; rgr ;ktuk d; j[k&j[kko gr vxirj vun'kA

1. nfud j[k&j[kko A&

(i) vuj{k;d dh 0;oLFkk A& ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था होगी, जिनका कर्तव्य पेयजल योजना को सुचारु रूप से संचालन करना है। सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वार्ड सदस्य की अनिच्छा पर वार्ड सभा, वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकेगी।

(ii) vuj{k;d d; fof'k"V nkf;Ro A&

$\frac{1}{2}$ d $\frac{1}{2}$  निर्धारित समय पर प्रतिदिन दो पालियों में मोटर पम्प को चालू करना एवं बंद करना। लॉग बुक में प्रतिदिन मोटर पम्प चालू/बंद करने के समय की प्रविष्टि करना और वार्ड के दो महिला लाभुकों का हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं० (जहाँ तक संभव हो, उनका घर अंतिम छोर पर अवस्थित हो) लेना। जलापूर्ति की अवधि माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 6:00 बजे से 9:00 बजे तक एवं अन्य माह में प्रातः 5:00 बजे से 8:00 बजे तक तथा सायंकाल सभी माह में 4:00 बजे से 7:00 बजे तक होगी।

$\frac{1}{2}$ [k $\frac{1}{2}$  प्रत्येक उपभोक्ता परिवार से उपभोक्ता शुल्क के रूप में ₹30 (तीस रुपये) मात्र प्रतिमाह वसूलना एवं संकलित राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा करना।

$\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{2}$  उपभोक्ता शुल्क संग्रहण पंजी का संधारण करना।

$\frac{1}{2}$ ?k $\frac{1}{2}$  जलापूर्ति योजना से संबंधित अवयवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। चोरी होने की स्थिति में थाना में प्राथमिकी दर्ज करना।

$\frac{1}{2}$ 3 $\frac{1}{2}$  लॉगबुक, आगंतुक पंजी एवं शिकायत पंजी का संधारण करना।

$\frac{1}{2}$ p $\frac{1}{2}$  जलापूर्ति योजना के निरीक्षण के दौरान पाए गए त्रुटियों एवं प्राप्त शिकायतों से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, तकनीकी सहायक एवं विभाग के अनुश्रवण कोषांग को अवगत कराना।

$\frac{1}{2}$ N $\frac{1}{2}$  अनवरत जलापूर्ति छोटे-छोटे कार्य सम्पन्न करना यथा पानी की टंकी की सफाई, पंप हाउस, बोरिंग का चैम्बर, परिसर आदि की साफ-सफाई, Leakage होने की स्थिति में उस गली के Gate Valve को बंद करना इत्यादि।

2- y?k ejEefr %& जलापूर्ति योजनाओं के लघु मरम्मत का कार्य प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेन्सी के माध्यम से संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा कराया जायेगा।

2-1 y?k ejEefr d; vo;o A&

1. मोटर-पम्प की मरम्मत कार्य।
2. Starter की मरम्मत/नये Starter का अधिष्ठापन कार्य।
3. Voltage Stabilizer की मरम्मत कार्य।
4. बोरिंग चैम्बर का मरम्मत कार्य।
5. Rising Main/Delivery Main का Restoration कार्य।
6. जल वितरण प्रणाली में बिछाए गए विभिन्न व्यास के HDPE पाईप में Leakage मरम्मत कार्य।
7. Check Valve/Stop Valve/Gate Valve का Restoration कार्य।
8. जल वितरण प्रणाली के क्रम में लगाए गए Gate Valve चैम्बर/Sluice Valve चैम्बर की मरम्मत कार्य।
9. फेरुल मरम्मत/नया क्रय करने का कार्य।
10. पानी की टंकी का मरम्मत कार्य।
11. Steel/RCC स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य।

2-2 i[k.M Lrjh; vuj{k.k , t;l h dk nkf;Ro A&

1. वार्ड स्तर पर पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्य हेतु प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेन्सी को सूचीबद्ध किया जायेगा, जो Electrician, Fitter, Plumber, Welder, Mechanic, Helper, Skilled Mason आदि की सेवा उपलब्ध करायेगा।
2. प्रखण्ड स्तरीय अनुरक्षण एजेन्सी, उपभोक्ता सामग्रियों का भंडार रखेंगे तथा परिवहन व्यवस्था रखेंगे।

3. वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से सूचना प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अपने मानव बल को सामग्रियों एवं Fitting Tool Kit के साथ योजना स्थल पर भेजकर यथाशीघ्र त्रुटियों का समाधान कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. कार्य सम्पन्न होने के उपरांत अपने Letter Head पर प्रचलित बाजार दर पर विपत्र एवं प्रमाणक संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रखण्ड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी, मरम्मति के उपरांत निकटवर्ती न्यूनतम 3 गृहस्वामी एवं तकनीकी सहायक से कार्य संतुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे एवं विपत्र के साथ अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को समर्पित करेंगे।

### 2-3 i[k.M Lrjh; vuj{k.k , t:l h dh p;u ifØ;k A&

- (i) विभाग द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रखण्ड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के Online Empanelment हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।
- (ii) विभाग द्वारा Online आवेदन प्राप्त करने हेतु Mobile Application विकसित किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु का प्रावधान किया जाएगा :-
  - (a) प्रखण्ड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी का नाम एवं पूर्ण स्थायी पता।
  - (b) Mobile No. and E-Mail ID
  - (c) Aadhar Card
  - (d) PAN Card
  - (e) GSTIN No.
  - (f) Bank Account No. with IFSC Code
- (iii) GSTIN धारक कोई भी व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान सूचीबद्ध हो सकता है। उन्हें कुशल मानव बल संबंधी शपथपत्र देना होगा। सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा कुशल मानव बल (प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, राज मिस्त्री, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक एवं मजदूर) का नाम एवं पता युक्त शपथ पत्र 15 दिनों के अंदर Upload की जायेगी।
- (iv) आवेदकों में से पात्र एजेंसी का चयन जिला स्तर पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा, उपलब्ध कराये गये कागजात एवं साक्षात्कार के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जायेगा। पूर्व की जलापूर्ति संबंधित कार्य का अनुभव रहने पर एजेंसी को प्राथमिकता दी जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि औसतन 03 पंचायत पर एक एजेंसी से अधिक का सूचीकरण नहीं किया जाय।
- (v) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की स्वतंत्रता होगी कि वे जिला के सभी प्रखंडों हेतु सूचीबद्ध किसी भी एजेंसी से कार्य करा सकेंगे।

### 3- ogn ejEefr A&

#### A. ogn ejEefr d vo;o %&

- (i) Boring Failure की स्थिति में नये Boring का निर्माण कार्य एवं Rising Main का संयोजन।
- (ii) नये मोटर पम्प का अधिष्ठापन कार्य।
- (iii) टंकी अधिष्ठापन हेतु नये Structure (RCC/Steel) का निर्माण कार्य।
- (iv) अतिरिक्त पानी की टंकी का अधिष्ठापन कार्य।
- (v) नये घर बनने की स्थिति में अतिरिक्त पाईप लाईन एवं गृहजल संयोजन देने का कार्य।
- (vi) आपदा एवं Unforeseen की स्थिति में वृहद रूप से क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली का पुनःस्थापन कार्य।
- (vii) पूर्व से निर्मित क्षतिग्रस्त पाईप लाईन प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य (कुल लम्बाई 100 मीटर से कम होने पर लघु मरम्मति घटक में आच्छादन होगा)।

#### 3.1 ogn ejEefr d e[; iko/kku A&

- (i) Major Repair की आवश्यकता की स्थिति में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति प्रस्ताव गठित करेगी।
- (ii) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, तकनीकी सहायक को प्राक्कलन बनाने हेतु लिखित अनुरोध करेगी।
- (iii) तकनीकी सहायक स्थिति के निरीक्षण के उपरांत प्राक्कलन का गठन कर, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत को प्रेषित करेंगे।

- (iv) ग्राम पंचायत द्वारा प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अधिकतम 7 दिनों में राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा। यह राशि 15वें वित्त आयोग के अनुदान के Tied घटक से वहन की जायेगी।
- (v) राशि की ससमय अनुपलब्धता होने पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी की पूर्व सहमति लेकर अर्न्तमद अस्थाई विचलन कर राशि उपलब्ध करायेगी।
- (vi) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति न्यूनतम 3 कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर दाता से कार्य करायेगी।
- (vii) तकनीकी सहायक के पर्यवेक्षण में उक्त कार्य कराया जायेगा एवं कार्य के अनुरूप मापी दर्ज की जाएगी।
- (viii) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा एवं मापी पुस्त के अनुरूप भुगतान खाते में किया जाएगा।
- (ix) ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का अनुश्रवण किया जायेगा।

4- मिहकड्रक 'कडि क/कु A&

- (i) उपभोक्ता के द्वारा मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं दिया जाता है तो अनुरक्षक द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सूचित करते हुए संबंधित उपभोक्ता को नोटिस तामिला कराना।
- (ii) यदि नोटिस तामिला होने के बाद भी उपभोक्ता द्वारा मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं दिया जाता है तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा गृह जल संयोजन विच्छेद के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया जाना।
- (iii) नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद उपभोक्ता के द्वारा शुल्क नहीं जमा कराये जाने और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संबंधित उपभोक्ता को राहत नहीं दिये जाने की स्थिति में उपभोक्ता का गृह जल संयोजन विच्छेद करना।
- (iv) पुनः गृह जल संयोजन हेतु संबंधित गृह स्वामी से शुल्क ₹300/- प्राप्त करना।
- (v) उपभोक्ता द्वारा जलापूर्ति का दुरुपयोग पाये जाने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा दण्ड अधिरोपित करना। प्रथम घटना में ₹150/- का जुर्माना, दूसरे दृष्टांत में ₹400/-जुर्माना लगाना एवं तीसरे दृष्टांत में ₹5000/- जुर्माना तथा गृह जल संयोजन विच्छेद कराना।
- (vi) एक बार गृह जल संयोजन विच्छेद होने के बाद उपभोक्ता द्वारा बकाया और जुर्माना प्राप्त किये जाने के बाद वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का आदेश पारित होने पर पुनः गृह जल संयोजन तकनीकी सहायक के पर्यवेक्षण में दिया जाना।
- (vii) यदि उपभोक्ता के द्वारा मोटर पम्प का उपयोग किया जा रहा है तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा इसे तुरंत हटाने का नोटिस तामिला कराया जायेगा। इसके बाद भी उपभोक्ता द्वारा मोटर पम्प नहीं हटाया जाता है तो ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ₹5000/- का जुर्माना लगाते हुए सम्पत्ति को जब्त करेगी। इसके बाद भी यही कार्य करने पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज करायेगे। यदि दोषी उपभोक्ता के द्वारा जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो सर्टिफिकेट वाद दायर करते हुए जुर्माना की राशि वसूली जायेगी।

- 5- फ'कड; र फुओक.क 0;ओलफक A& उपर्युक्त व्यवस्था के तहत एकीकृत शिकायत निवारण कोषांग का गठन एवं Toll Free No.- 1800 1231 121 द्वारा शिकायतों का संधारण एवं निष्पादन की स्थिति का अनुश्रवण किया जायेगा।

शिकायत निवारण निम्नवत् सारणी आधारित समय-सीमा अंतर्गत होंगे :-

| Public Grievance          | Service Time | Responsible Officer                                | Review Officer                            |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| जलापूर्ति योजना में लिकेज | 24 hours     | वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति / तकनीकी सहायक | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी / जिला पंचायत |
| साधारण (Minor)            | 3-5 days     |                                                    |                                           |
| असाधारण (Major)           |              |                                                    |                                           |
| मोटर पम्प में खराबी       | 24 hours     |                                                    |                                           |
| स्टैंड पोस्ट की मरम्मत    | 24 hours     |                                                    |                                           |

|                                                |                                                                                                     |  |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| जल मीनार की सफाई                               | 15 days<br>यदि विगत 6 माह में सफाई नहीं की गई हो                                                    |  | राज<br>पदाधिकारी |
| नया गृह जल<br>संयोजन/गृह जल<br>संयोजन विच्छेदन | 03 days<br>(यदि पाईप लाईन आवेदक के समीप हो)<br>30 days<br>(यदि नयी पाईप लाईन बिछाने की आवश्यकता हो) |  |                  |
| जल गुणवत्ता की जाँच                            | 03 days                                                                                             |  |                  |

6- पेयजलापूर्ति योजना से जुड़े दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत हितधारकों का निम्नवत् दायित्व निर्धारण किया गया है।

(क)  $\frac{1}{4} \text{ [k\% xke ipk; r dk nkf; Ro A\&}$

- वार्ड में जलापूर्ति योजना का प्रबंधन एवं अनुश्रवण करना।
- जलापूर्ति में त्रुटि संबंधित प्राप्त सूचना के आधार पर प्रखण्ड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी से सम्पर्क कर त्वरित त्रुटि का निराकरण कराना।
- प्रखण्ड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी द्वारा किए गए कार्य में लगने वाले सामग्रियों एवं श्रम शुल्क का प्रमाणक (Voucher) के साथ विपत्र एवं उपभोक्ता संतुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त करना एवं इससे संबंधित पंजी संधारण करना।
- प्राप्त विपत्र एवं Voucher को संकलित कर प्रखण्ड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी को उनके खाते में भुगतान करना।
- अनुरक्षक को मानदेय भुगतान सुनिश्चित करना। अनुरक्षक द्वारा संकलित किये गए उपभोक्ता शुल्क को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा करना। 50% राशि त्रैमासिक रूप में प्रोत्साहन राशि के तौर पर अनुरक्षक को भुगतान करना एवं इससे संबंधित पंजी का संधारण करना।
- योजना को सुचारु रूप से संचालित नहीं रखने की स्थिति में अनुरक्षक को दिये जाने वाले मानदेय/प्रोत्साहन राशि में कटौती करना।
- हर घर तक जल की सतत् उपलब्धता रखना।
- नये आवास बनने पर गृहजल संयोजन देना।
- पेयजल के दुरुपयोग की रोकथाम करना।
- रख-रखाव एवं अनुरक्षण मद में किये जाने वाले व्यय भार को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा त्रैमासिक तौर पर अनुमोदित कराना। समिति द्वारा छमाही तौर पर ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत सचिव को भेजना सुनिश्चित करना।

$\frac{1}{4} \text{ [k\% xke ipk; r dk nkf; Ro A\&}$

- वार्डों में जलापूर्ति योजनाओं का सतत् संचालन सुनिश्चित करना एवं अनुश्रवण-समन्वय करना।
- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अनुरक्षण अनुदान का ससमय हस्तांतरण करना।
- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा खर्च किए गए राशि का अनुश्रवण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेना।
- किसी वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अक्षमता होने पर वार्ड सभा में प्रस्ताव पारित कराकर ग्राम पंचायत स्तर से पेयजल व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित करना। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सभी दायित्वों का निर्वहन करेगी।
- वार्ड में उपभोक्ता द्वारा जलापूर्ति का दुरुपयोग अथवा अनधिकृत मोटर पम्प का उपयोग पाये जाने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा दण्ड अधिरोपित करना।

$\frac{1}{4} \text{ [k\% xke ipk; r dk nkf; Ro A\&}$

- वार्ड में जलापूर्ति योजनाओं का सतत् निरीक्षण करना।
- जलापूर्ति में त्रुटियों को अपने पर्यवेक्षण में निराकरण सुनिश्चित करना।
- किये जा रहे मरम्मत कार्य का अनुश्रवण करना।

- (iv) Major Repair की स्थिति में वस्तु स्थिति का निरीक्षण उपरांत प्राक्कलन का गठन कर, तकनीकी अनुमोदन प्रदान करना एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पंचायत को प्रेषित करना।
- 1/2 3/4 i: [kM ipk; r jkt inkf/kdkjh dk nkf; Ro A&
- (i) जलापूर्ति योजनाओं का सतत् निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना।
- (ii) ग्राम पंचायत, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, तकनीकी सहायक एवं प्रखण्ड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी से सामंजस्य स्थापित कर सतत् जलापूर्ति व्यवस्था कायम रखना एवं अनुरक्षण में चूक की स्थिति में दोषी ग्राम पंचायत के मुखिया/वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पर कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा करना।
- 3/4 3/4 ftyk i: [kM ipk; r jkt inkf/kdkjh dk nkf; Ro A&
- (i) जलापूर्ति योजनाओं का सतत् निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना।
- (ii) IOT Device का अधिष्ठापन एवं Dashboard के माध्यम से योजनाओं की स्थिति का अनुश्रवण करना।
- (iii) प्रखण्ड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी को सूचीबद्ध करना।

ver yky eh.kk]  
ljdkj di vij e[; lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 541-571+300-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>